आंध्र प्रदेश राज्य

बनाम

एन. राधाकिशन

अप्रैल 7, 1998

[सुजाता वी. मनोहर और डी.पी. वाधवा, जे.जे.जे में

सेवा कानून:

आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1963: नियम 19

विभागीय जांच-- निष्कर्ष में कार्यवाही में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं-- पदोन्नति दूषित डीपीसी की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कर्मचारी के विरूद्ध डीपीसी की कार्यवाही के लंबित रहने दौरान पदोन्नति की शिफारिश-- इसके बाद कर्मचारी को दो चार्जशीट दिए गए-: अभिनिर्धारित सभी प्रकरण में और सभी स्थितियों पर लागू होने वाले कोई पूर्व-निर्धारित सिद्धांत लागू नहीं किये जा सकते है। प्रत्येक मामले में सभी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए- न्यायालय को स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन और कर्मचारी के लिए देरी का कारण बनने वाले पूर्वाग्रह के बीच संतुलन बनाना होगा- कार्यवाही को समाप्त करने में और भी अस्पष्ट विलंब ही कर्मचारी के लिए पूर्वाग्रह का

कारण बनती है। मामले की परिस्थितियों में, कर्मचारियों को डीपीसी की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नत होने का निर्देश दिया गया- पश्चातवर्ती चार्टशीटों को पदोन्नति के उद्देश्य के लिये नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया - आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1991. आरआर 20, 21 और 45.

विभागीय जांच-चार्जशीट के संबंध में सामान्य प्रक्रिया

भ्रष्टाचार निरोधक दल की रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम के कई कर्मचारियों के खिलाफ उनकी मिलीभगत से अनाधिकृत निर्माण के लिए प्रत्येक कर्मचारी की अक्षरशः भूमिका को स्पष्ट किये बिना अक्षरशः सभी को चार्जशीट दी गइ विभागीय जांच चार्जशीट- नए चार्जशीट जारी करना - चार्जशीट 1987 के पुराने नियमों के आधार पर जारी किया जाकर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, किन्तु एक के बाद एक जांच अधिकारी नियुक्त होने पर भी कोई प्रगति नहीं, तत्पश्चात पुराने चार्जशीट को निरस्त किये बिना नए नियम 1995 के अनुसार दो चार्जशीट जारी किए गए, पुराने नियमों के तहत शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने के लिए नये नियमों का आरोपी अभिनिर्धारित किया गया-नए चार्जशीट किये जाने से दोषी कर्मचारी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ। क्योंकि पिछली जांच में कोई प्रगति नहीं हुई थी- इसलिए, पिछली कार्यवाही को रद्द किए बिना नई कार्यवाही की शुरूआत अनियमितता व अवैधता नहीं।

आन्ध्रप्रदेश सिविल सेवा (सीसीए नियम 1991) के लागू रहते हुए पूर्व की चार्जशीट को निरस्त किये बिना दिनांक 31.07.95 को नई चार्जशीट दी गई, प्रत्यर्थी को चार आरोपों में से एक चार्जशीट नया होने से पूर्व के तीन आरोपों में शामिल नहीं था।

प्रत्यर्थी एक नगर निगम में सहायक नगर नियोजनाकार के रूप में कार्यरत कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक ने बी नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बहुमंजिला परिसरों में अनियमितताओं और अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में राज्य सरकार को दिनांक 07-11-1987 को आई.डी. नंबर-1 पर एक रिपोर्ट भेजी।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, दिनांक 12-12-1987 को एक चार्जशीट दिया गया था, आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1963 के नियम 19 के तहत प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका को निर्दिष्ट किये बिना प्रत्यर्थी और दस अन्य को जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई। एक के बाद एक कई जाँच अधिकारी नियुक्त किये गये लेकिन जाँच में कोई प्रगति नहीं हुई। देरी के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं था। पहले के चार्जशीट को रद्द किए बिना प्रत्यर्थी को 31-7-1995 का एक नया चार्जशीट इस आधार पर दिया गया था कि इस बीच आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1991 लागू हो गया था। इन चार आरोपों में से तीन आरोपों में प्रत्यर्थी शामिल नहीं था। नई चार्जशीट के लंबित रहते हुए

विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा कर्मचारी की पदोन्नति की सिफारिश की गई। तत्पश्चात दो और चार्जशीट प्रत्यर्थी को दिनांक 27-10-1995 और 01-06-1996 को दिए जाने से डीपीसी की सिफारिशों के बावजूद प्रत्यर्थी को पदोन्नत नहीं किया गया।

इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने राज्य के समक्ष एक आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी को प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 31-7-1995 की चार्जशीट को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी को सिफारिशों के आधार पर पदोन्नत किया जाए। डीपीसी के बाद के दो प्रभारों को ध्यान में रखे बिना दिया गया के सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया जावे। इसलिए यह अपील पेश की गई। अपील इस न्यायालय द्वारा खारिज की गई।

अभिनिर्धारित:

1.1. सभी मामलों और उन सभी स्थितियों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन में देरी होती है, वहां लागू होने वाले किसी भी पूर्व-निर्धारित सिद्धांतों को निर्धारित करना संभव नहीं है। क्या उस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिये। प्रत्येक मामले की जांच उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर की जानी चाहिए। मामले का सार यह है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा और यह निर्धारित करने के लिए उन्हें संतुलन बनाना होगा स्वच्छ

और ईमानदार प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना किसी अयुक्तियुक्त कारण देरी होने से एेसी अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

695 दोषी कर्मचारी को यह अधिकार है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जाए और कार्यवाही में देरी करने में उसकी ओर से किसी भी गलती के बिना अनावश्यक रूप से लंबे समय तक चलने पर उसे मानसिक पीड़ा और मौद्रिक हानि का सामना न करना पड़े। इस पर विचार करने में कि क्या देरी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को ख़राब कर दिया है, न्यायालय को चार्जशीट की प्रकृति, इसकी जटिलता और किस कारण से देरी हुई है, इस पर विचार करना होगा। यदि देरी अस्पष्ट है, तो दोषी कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। यह भी देखा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की पैरवी में कितना गंभीर है। यह प्रशासनिक न्याय का मूल सिद्धांत है कि जिस अधिकारी को कोई विशेष कार्य सौंपा गया है उसे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, कुशलतापूर्वक और नियमों के अनुसार करना होगा। यदि वह इस मार्ग से भटकता है तो उसे निर्धारित दंड भुगतना होगा। आम तौर पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रासंगिक नियमों के अनुसार अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन देरी से न्याय नहीं मिल पाता। देरी से आरोपित अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन में देरी के लिए वह स्वयं दोषी है। अंततः न्यायालय को इन दो विविध विचारों को संतुलित करना है [707-बी-एफ]

1.2. वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि रिकॉर्ड के संदर्भ के बिना, केवल महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट पर, प्रत्यर्थी और दस अन्य के खिलाफ चार्जशीट, जो सामान्य प्रकृति के हैं, शब्दशः और भूमिका का विवरण दिए बिना तय किए गए थे। प्रत्येक आरोपित अधिकारी की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई। प्रत्यर्थी के विरुद्ध चार चार्जशीट थे। उनमें से तीन से प्रत्यर्थी को कोई सरोकार नहीं था। प्रत्यर्थी ने चौथे आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इसकी जांच नहीं की और न ही किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करने का विकल्प चुना, यहां तक कि यह मानते हुए भी कि कार्यवाही आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1991 के तहत वैध रूप से शुरू की जा रही थी। इन सभी वर्षों में जांच कार्यवाही के समापन में देरी के लिए चाहे जो भी स्पष्टीकरण हो। मामला केवल विभाग के रिकॉर्ड पर निर्भर था और महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया था कि उनकी रिपोर्ट देने से पहले किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। जांच अधिकारियों को, जिन्हें एक के बाद एक नियुक्त किया गया था, उन्हें केवल रिकार्ड को देखकर यह जांच करनी थी कि उक्त अवैध एवं अनाधिकृत

विधि विरूद्ध निर्माण नजर अंदाज करने एवं अनुमति देने के लिए कौन जिम्मेदार है। यह विवादास्पद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने किसी भी स्तर पर जांच कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने की कोशिश की। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा चार्जशीट दिनांक 31.07.1995 को रद्द किया जाना एवं प्रत्यर्थी को दिनांक 27.10.95 आैर दिनांक 01.06.96 की दोनों चार्जशीटों को नजरअंदाज करते हुए पदोन्नति किये जाने का निर्देश दिया जाना न्यायसंगत ठहराया गया। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण को न्यायसंगत ठहराया गया था।

ए-प्रत्यर्थी ने डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 27-10-1995 और 1-6-1996 के चार्जशीट की अनदेखी की। [707-जी-एच; 708-ए-सी]

पंजाब राज्य बनाम चमन लाल गोयल, [1995] 2 एससीसी 570 और ए.आर अंतुले बनाम आरएस। नायक, [1992] 1 एससीसी 225, संदर्भित।

बी-2 यह एक निर्विवाद तथ्य है कि चार्जशीट दिनांक 22-12-1987 को रद्द किए बिना 1991 के नियमों के तहत प्रत्यर्थी को एक और चार्जशीट दिनांक 31-7-1995 जारी किया गया था। आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के तहत शुरू की गई जांच कार्यवाही 1991 नियमों के लागू होने के बाद भी जारी रखी जा सकती है। इसलिए, वर्तमान मामले में दिनांक 31-7-1995 के नए चार्जशीट का उपयोग केवल एक अनियमितता हो सकता

है, अवैधता नहीं क्योंकि पिछली जांच कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई है। [705-ई-एच] सी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3503/1997

आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के ओ.ए. 2239/1996 निर्णय और आदेश दिनांक 12.12.96 से ।

सुश्री के. अमरेश्वरी, वी.आर. अपीलकर्ता की ओर से अनुमोलू और टी. अनिल कुमार एच.एस. गुरुराजा राव और टी.वी. प्रत्यर्थी की ओर से रत्नम।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के 12 दिसंबर 1996 के फैसले के खिलाफ ओ.ए. प्रत्यर्थी द्वारा दायर संख्या 2239/96, आंध्र प्रदेश राज्य अपील में आया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि यदि प्रत्यर्थी अन्यथा पात्र है तो चार्जशीट नंबर (1) नंबर 2732/ एफएल/87/27/एमए, दिनांक 31 जुलाई 1995; (2) नं. 145/बी2/93-19/एमए, दिनांक 27 अक्टूबर 1995; और (3) नंबर 898/बी.2/94/एमए दिनांक 1 जून 1996 को नजर अंदाज करते हुए प्रत्यर्थी को मौजूदा व्यक्तियों में नगर और देश योजना के निदेशक की श्रेणी में पदोन्नत किया जाए। न्यायाधिकरण ने पाया कि चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति ने 16

अगस्त, 1995 को बैठक की और पैनल वर्ष 1994-95 के लिए पैनल तैयार किया, जिसे राज्य सरकार ने अक्टूबर, 1995 में मंजूरी दे दी। जी.ओ.एम. द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक की श्रेणी पैनल में शामिल व्यक्तियों में से दिनांक 14 नवंबर, 1995 एक को पदोन्नत किया गया था। न्यायाधिकरण ने पाया कि 16 अगस्त, 1995 को तैयार किया गया पैनल केवल 31 दिसंबर, 1996 को समाप्त होना चाहिए, न कि 31 दिसंबर, 1995 को, जैसा कि राज्य द्वारा तर्क दिया गया था। प्रत्यर्थी का नाम पैनल में शामिल किया गया था। इसलिए, न्यायाधिकरण ने माना कि चूंकि पैनल केवल 31 दिसंबर, 1996 को समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्रत्यर्थी उस तारीख से पहले पदोन्नति का हकदार था। न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि राज्य की यह आपत्ति कि पैनल 31 दिसंबर, 1995 को समाप्त हो गया, न्यायाधिकरण द्वारा पहले दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ उसके समक्ष या राज्य में कभी नहीं उठाया गया था।

न्यायाधिकरण इस सवाल से चिंतित था कि क्या डीपीसी द्वारा तैयार किए गए पैनल में प्रत्यर्थी का नाम शामिल किए जाने के बाद उसे इस आधार पर पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है कि उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच अभी तक समाप्त नहीं की गई है। प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था कि 31 जुलाई, 1995 का चार्ज डीपीसी की बैठक से ठीक पहले उसे केवल पदोन्नति के दावे से वंचित

करने के लिए दिया गया था और इसके अलावा 27 अक्टूबर, 1995 और 1 जून का चार्ज भी दिया गया था। 1996 डीपीसी की बैठक की तारीख के बाद होने के कारण उन्हें निदेशक, नगर आैर देश योजना के पद पर पदोन्नत करने के लिए विचार नहीं किया जा सका। न्यायाधिकरण ने देखा कि 31 जुलाई 1995 का वर्ष 1978, 1979 और 1984 में हुई घटनाओं से संबंधित था, जो कि 22 दिसंबर 1987 के नंबर 1412 की विषय-वस्तु भी थी। जबकि नंबर 1412 आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1963 (संक्षेप में "1963 नियम") के नियम 19 के तहत जारी किया गया था, दिनांक 31 जुलाई, 1995 को आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1991 के नियम 20 के तहत जारी किया गया था। संक्षेप में "1991 नियम") के लिए। पहले के मेमो नंबर 1412 को 31 जुलाई 1995 के जारी होने से पहले न तो रद्द किया गया था और न ही निस्तारित किया गया था और न्यायाधिकरण का मानना था कि जांच अधिकारी नियुक्त होने के बाद नियम इस परिस्थिति के कारण 31 जुलाई 1995 का जारी नहीं किया जा सकता था और जांच पुराने के तहत आगे बढ़नी चाहिए थी।

राज्य ने हमारे सामने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से मान लिया कि 31 जुलाई, 1995 को प्रत्यर्थी को सूचित किए गए चार्जशीट देर से लगाए गए थे और न केवल उस चार्जशीट को रद्द कर दिया, बल्कि अन्य चार्ज को भी रद्द कर दिया, जबकि उसके लिए कोई

चुनौती नहीं थी। केवल देरी के आधार पर न्यायाधिकरण को प्रत्यर्थी को अवांछित लाभ नहीं देना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी को राहत देने में न्यायाधिकरण का पूरा दृष्टिकोण चार्जशीट को आगे बढ़ाने में जांच समाप्त न करने में देरी करना रहा है। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने 31 जुलाई, 1995 और 27 अक्टूबर, 1995 के को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधिकरण ने केवल 31 जुलाई, 1995 के और 27 अक्टूबर, 1995 को रद्द कर दिया। 1 जून, 1996 को इसमें कहा गया कि राज्य कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, लेकिन न्यायाधिकरण ने एकमात्र शर्त यह लगाई कि डीपीसी की सिफारिश को लागू करने में इन दो ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

क्या देरी से अनुशासनात्मक कार्यवाही ख़राब हुई और यदि न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्देश देना उचित था तो हम घटनाओं के अनुक्रम का उल्लेख कर सकते हैं।

प्रत्यर्थी को वर्ष 1976 में टाउन प्लानिंग के निदेशक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1979 में हैदराबाद नगर निगम (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) में काम किया। उन्हें 1981 में विशाखापत्तनम नगर निगम में सिटी प्लानर के रूप में तैनात किया गया था। 7 नवंबर, 1987 की एक रिपोर्ट महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा शासन सचिव, आवास, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद को बहुमंजिला इमारतों में विचलन और अनाधिकृत निर्माण में अनियमितताओं के बारे में भेजा गया था। नगरपालिका अधिकारियों की मिलीभगत से हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में कॉम्प्लेक्स।

इस रिपोर्ट में चार बहुमंजिला इमारतों का जिक्र किया गया था, जैसे चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स, चिनॉय मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शाजहां अपार्टमेंट और प्रोग्रेसिव टावर्स। यह कहा गया कि सितंबर, 1987 में इन परिसरों का निरीक्षण किया गया और विचलन और अनाधिकृत निर्माण में अनियमितताएं देखी गईं और निगम की संबंधित फाइलों का भी अवलोकन किया गया। निगम के नगर नियोजन कर्मचारियों ने बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके उन्हें भवन उपनियमों का उल्लंघन करने की अनुमति दी और कर्मचारियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया या अपने और बिल्डरों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया, जिससे निगम को गृह-कर के रूप में राजस्व की हानि हुई। प्रत्यर्थी सहित ग्यारह अधिकारियों को नामित किया गया था, जिन्हें असामान्य विचलन और अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार बताया गया था।

रिपोर्ट के आधार पर राज्य ने तीन अधिकारियों अर्थात् राधा कृष्ण, तत्कालीन सहायक के संबंध में 12 दिसंबर, 1987 (1) की दो तारीखें जारी

की। सिटी प्लानर, प्रत्यर्थी, (2) पी.वी. जानकी रमन, तत्कालीन सिटी प्लानर और (3) ए. राम रेड्डी, तत्कालीन सहायक। सिटी प्लानर, दूसरे में अनुभाग अधिकारी रैंक के सात अन्य अधिकारियों और एक सहायक नगर नियोजक का नाम दिया गया था। प्रत्यर्थी और दो अन्य का सम्मान करते हुए में कहा गया है कि 1963 के नियम 19 (2) के तहत एक श्री एन वेणुगोपाल रेड्डी, नगर एवं देश नियोजक आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के निदेशक को उनके खिलाफ विस्तृत जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जो कथित तौर पर शामिल थे और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। जांच अधिकारी को दो महीने की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करने और विशिष्ट निष्कर्षों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं यह पूरी तरह से महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 7 जनवरी, 1988 के एक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि इमारतों की जाँच के दौरान न तो गवाहों से पूछताछ की गई और न ही उनके बयान दर्ज किए गए और इस प्रकार कोई भाग भी नहीं था। पत्रावली में सरकार को भेजी जा चुकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। 1963 के नियमों के नियम 19(2) में यह आवश्यक है कि जब किसी सेवा के सदस्य पर कोई दंड लगाने का प्रस्ताव हो तो दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा या स्वयं जांच करेगा। ऐसे प्रत्येक मामले में

जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसे निश्चित आरोपों के रूप में कम कर दिया जाएगा, जिसे चार्जशीट लगाए गए व्यक्ति को उन आरोपों के विवरण के साथ सूचित किया जाएगा, जिन पर प्रत्येक चार्जशीट आधारित है और किसी भी अन्य परिस्थिति में जिसे मामले में आदेश पारित करते समय विचार करने का प्रस्ताव है। आरोपित कर्मचारी को उचित समय के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान दाखिल करना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह मौखिक बयान चाहता है, पूछताछ या व्यक्तिगत रूप से सुना जाना या दोनों। आगे के चरणों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि क्या वह मौखिक पूछताछ चाहता है या व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहता है या दोनों। जांच कार्यवाही में आगे के कदमों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि 31 जुलाई, 1995 तक प्रत्यर्थी को आरोपों का अनुच्छेद नहीं दिया गया था, उस समय तक 1991 के नियम पहले के अधिक्रमण में लागू हो चुके थे। 1991 के नियमों के नियम 45 में प्रावधान है कि 1991 के नियमों के प्रारंभ में लंबित उन नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही में निरसन, 1963 के नियमों के पिछले संचालन, या किए गए किसी अधिसूचना या आदेश, या किए गए किसी भी कार्य, या उसके तहत की गई किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और करेगा जहां तक संभव हो 1991 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी रखा जाएगा और निस्तारण किया जाएगा। 1991 में नियम 20 और 21 द्वारा जुर्माना लगाने

की प्रक्रिया को बदल दिया गया था। अब, आरोपित कर्मचारी के बचाव का लिखित बयान प्राप्त होने के बाद जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने का प्रस्ताव किया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों के सार को निश्चित और स्पष्ट चार्जशीट में तैयार करना आवश्यक होता है; चार्जशीट के प्रत्येक लेख के समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों का एक बयान जिसमें (ए) सभी प्रासंगिक तथ्यों का एक बयान (बी) दस्तावेजों की सूची और (सी) गवाहों की सूची शामिल है। इन्हें सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा, जिसे बचाव में लिखित बयान देना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहता है। यदि बचाव पक्ष के लिखित बयान की प्राप्ति पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को लगता है कि आरोपों की जांच करना आवश्यक है, तो वह इस उद्देश्य के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, बेशक, अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं आरोपों के लेख की जांच कर सकता है, यदि वह ऐसा चुनता है या ऐसा करने के बारे में सोचता है। फिर, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि जांच अधिकारी को 1991 के नियमों के अनुसार मामले में आगे कैसे बढ़ना है क्योंकि प्रत्यर्थी पर चार्जशीट का लेख दिए जाने और उसके बचाव का बयान प्राप्त होने के बाद कोई प्रगति नहीं हुई और उसने न्यायाधिकरण का रुख किया।

सरकार में वापस आकर जब श्री एन. वेणुगोपाल रेड्डी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो हमारे सामने मौजूद आधिकारिक पत्रावली से हमें पता चलता है कि उन्होंने सरकार, आवास, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के सचिव को उन्हें भेजने के लिए विभिन्न पत्र भेजे थे। वे यह लिखते रहे लेकिन राज्य सरकार की ओर से तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जब तक कि श्री एन. वेणुगोपाल रेड्डी 30 सितंबर, 1991 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं हो गए। राज्य सरकार की ओर से जांच अधिकारी के विभिन्न पत्रों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। पत्रावली कुछ भी प्रकट नहीं करती। इस बीच प्रत्यर्थी को 10 सितंबर, 1991 को नगर और देश योजना निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद, राज्य सरकार ने श्री पी.बी. को नियुक्त किया। चौधरी, ओ.एस.डी. (कानूनी मामले), हैदराबाद नगर निगम को 7 सितंबर 1992 के आदेश द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्री चौधरी ने जांच रिपोर्ट और ओएसडी के रूप में अपने कार्यकाल को प्रस्तुत नहीं किया। (कानूनी मामले) 20 नवंबर, 1992 को समाप्त हो गए। फिर, 6 मार्च, 1993 को निगम के अतिरिक्त आयुक्त श्री ए. विद्यासागर, आईएएस, को जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए। 25 मई, 1993 को उन्हें उनके पद से स्थानांतरित कर दिया गया। 17 जून, 1993 को एक बार फिर आदेश जारी कर निगम के अतिरिक्त आयुक्त (सामान्य) श्री आदित्यनाथ दास, आईएएस को जांच

अधिकारी नियुक्त किया गया। 16 अगस्त, 1994 को श्री दास ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि संबंधित पत्रावली और रिकॉर्ड "हाल ही में" उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त हुए हैं और उन्होंने वादा किया कि वह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और श्री डी.ए.एस. को पद से स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम के जांच अधिकारी के रूप में 20 मार्च, 1995 को श्री एम.वीरहद्रैया, आईएएस, ओएसडी की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इस स्तर पर यह देखा गया कि 1991 के नियमों में निहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसलिए श्री एम. वीरहद्रैया को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का दिनांक 20 मार्च, 1995 का आदेश 16 जून, 1995 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। प्रकरण में दिनांक 31 जुलाई, 1995 के चार्जशीट प्रत्यर्थी को दी गई थी।

प्रत्यर्थी के विरुद्ध जांच करने के संबंध में न्यायाधिकरण ने 31 जुलाई, 1995 में निहित आरोपों के संबंध में प्रत्यर्थी की दोषीता पर ध्यान नहीं दिया और उन आरोपों पर अपराध या अन्यथा का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि 31 जुलाई, 1995 का उन घटनाओं से संबंधित है जो की तारीख से दस साल या उससे अधिक पहले हुई थीं और चार्जशीट तय करने में इस अत्यधिक देरी के लिए सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। राज्य द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

कि किसी न किसी कारण से जांच अधिकारी को समय-समय पर बदला जा रहा है और उस कारण से जांच नहीं की जा सकती, न्यायाधिकरण द्वारा अनुकूल नहीं पाया गया। इसमें कहा गया है कि इस अंतिम चरण में घटनाओं के संबंध में प्रत्यर्थी के खिलाफ जांच करने का अब राज्य की ओर से कोई औचित्य नहीं है। न्यायाधिकरण ने देखा कि इस बीच 22 दिसंबर 1987 के नंबर 1412 और राज्य की दलील के बाद एक के बाद एक जांच अधिकारियों की नियुक्ति के बावजूद प्रत्यर्थी को नगर और देश योजना के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जब प्रत्यर्थी को पदोन्नत किया गया था। नगर और देश योजना के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक के रूप में उनके खिलाफ जांच से संबंधित पत्रावली को वर्ष 1991 में डीपीसी के आयोजन के समय प्रशासनिक अनुभाग के ध्यान में नहीं लाया गया था और जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी को पदोन्नत किया गया था, उसे भी पक्ष नहीं मिला। न्यायाधिकरण के साथ. न्यायाधिकरण ने कहा कि दोनों अनुभाग नगरपालिका प्रशासन के अंतर्गत थे और यह स्पष्टीकरण, जो अब पेश किया गया है, बिना किसी योग्यता के है। न्यायाधिकरण ने 31 जुलाई, 1995 को रद्द करते हुए 27 अक्टूबर, 1995 और 1 जून, 1996 को रद्द नहीं किया और कहा कि यदि राज्य को सलाह दी जाए, तो वह प्रत्यर्थी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। न्यायाधिकरण ने बाद के दो ज्ञापनों के बारे में जो कहा वह यह था कि 16 अगस्त, 1995 को आयोजित डीपीसी की सिफारिशों के अनुसरण

में प्रत्यर्थी को पदोन्नत करते समय उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

27 मार्च 1995 को सतर्कता आयुक्त द्वारा सरकार के प्रमुख सचिव, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग को लिखा गया एक पत्र हमारे संज्ञान में लाया गया है। इस पत्र में सतर्कता आयुक्त ने लिखा है कि तथ्यों पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में असामान्य और टालने योग्य देरी हुई, जिन पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में बहुमंजिला परिसर निर्माण के लिए दी गई अनुमति के मामले में कई अनियमितताएं करने का चार्जशीट है।

पत्र में कहा गया है कि अब 1991 की नियमावली के नियम 20 के तहत प्रक्रिया का पालन किये बिना ही जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है. विभाग को 1991 के नियमों के नियम 20 के तहत पहले यह सत्यापित करने के लिए कहा गया था कि क्या पहले के जांच अधिकारियों और क्या चार्जशीट तय करने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं की गई थी। सतर्कता आयुक्त ने सलाह दी कि मसौदा चार्जशीट जारी करने से पहले उन्हें दिखाया जा सकता है। 26 अप्रैल, 1995 को सतर्कता आयुक्त द्वारा एक अनुस्मारक भेजा गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी और अन्य पर 31 जुलाई, 1995 को चार्जशीट तय किये गये।

प्रत्यर्थी, जो अब नगर और देश योजना के निदेशक के कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत है, के खिलाफ आरोपों की चार धाराएँ निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: -

"आरोपों के लेख

1) श्री एन. राधा कृष्ण, पूर्व में सहायक नगर नियोजक, हैदराबाद नगर निगम, सिकंदराबाद, और वर्तमान में संयुक्त निदेशक, नगर नियोजन निदेशालय, हैदराबाद के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 1978 के दौरान सहायक नगर नियोजक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कदाचार किया, उन्होंने मैसर्स के पक्ष में चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में चौथी मंजिल और पाँचवीं मंजिल कुछ शर्तों के अधीन निर्माण की अनुमति देने की सिफारिश करते हुए नगर नियोजक सिकंदराबाद को कुछ चूक और कमीशन के साथ भ्रामक नोट दिया था।

पत्रावली संख्या 234/241/7/1/बी4/78 में स्वास्तिक बिल्डर्स ने बिल्डिंग उपनियम और ज़ोनिंग विनियमों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार उन्होंने अपने आचरण का प्रदर्शन किया जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए

रखने में विफल रहे। जिससे उक्त श्री एन. राधा कृष्ण ने आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 का उल्लंघन किया।

2) श्री एन. राधा कृष्ण ने इस तरह काम करते हुए सिकंदराबाद के चेनॉय मार्केट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सेलर को एल्कॉम इंजीनियरिंग कंपनी, हैदराबाद पंप्स लिमिटेड, ईटी जैसी विभिन्न कंपनियों को गोदाम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने में भी कदाचार किया है। एल एण्ड टी लिमिटेड ने सेलर हिस्से को गैरेज के रूप में परिवर्तित करके, जबकि सेलर वास्तव में पार्किंग के लिए था और उसने सेलर के उत्तर-पूर्वी कोने को सुमन सेफ डिपॉजिट लॉकर्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे वाले लॉकरों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम के रूप में परिवर्तित करने की भी अनुमति दे दी है। उन्होंने भवन की ऊंचाई 92' चौड़ी की अनुमत औसत ऊंचाई के बजाय 130' 8" तक बढ़ाने की अनुमति देकर कदाचार किया है, जबकि परमिट संख्या 92/84 दिनांक 11.7.1985 और स्वीकृत योजना ने औसत की अनुमति दी थी इमारत की ऊंचाई केवल 92' है यानी, भूतल+7 मंजिल। इस प्रकार उन्होंने अपने आचरण का

प्रदर्शन किया जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे। इस प्रकार उक्त श्री एन. राधा कृष्ण ने आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3। का उल्लंघन किया

3) श्री एन राधा कृष्ण ने परिसर संख्या 6-2-94, खैरताबाद के शाहजहाँ अपार्टमेंट के तहखाने को दुकानों और कार्यालय गोदामों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने में भी कदाचार किया है, जबकि इसे कार पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए था। परमिट संख्या 24/15 दिनांक 1979 30.3.1979. इस प्रकार उन्होंने अपने आचरण का प्रदर्शन किया जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे। जिससे उक्त श्री एन. राधा कृष्ण ने आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 का उल्लंघन किया।

4) श्री एन. राधा कृष्ण ने राजभवन रोड से सटे प्रोग्रेसिव टावर्स के पूर्वी हिस्से पर रेलिंग लगाने पर जोर न देकर भी कदाचार किया है, जबकि शर्त यह थी कि परमिट

संख्या 145 के अनुसार राजभवन रोड की ओर कोई रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए। 42, दि. 19.3.1981 जी.ओ. एमएस के साथ पढ़ें। संख्या 1065, एम.ए. दिनांक 16.9.1981, इस प्रकार वह पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे और इस तरह आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) का उल्लंघन किया।"

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यही चार्जशीट शब्दश: श्री ए. श्री रामी रेड्डी पर भी लगाए गए हैं, जो अब निदेशक नगर आैर देश योजना के कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा दिनांक 07 नवंबर, 1987 की रिपोर्ट में नामित 8 अन्य लोगों पर भी चार्जशीट लगाए गए हैं।

3 अगस्त, 1995 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी ने आरोपों की धारा जारी करने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सूचित किया कि उसने 6 दिसंबर, 1977 से 16 फरवरी, 1979 तक विभिन्न सर्किलों में निगम में सहायक सिटी प्लानर के रूप में काम किया था और इससे यह हो सकता है। देखा कि केवल चार्ज नंबर 1 उनके कार्यकाल से संबंधित है जब वह उस सर्कल में सहायक सिटी प्लानर के रूप में काम कर रहे थे। प्रत्यर्थी विस्तृत लिखित बयान प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए में निहित आरोपों के संबंध

में प्रासंगिक रिकॉर्ड की प्रतियां चाहता था।

25 सितंबर, 1995 को अपने लिखित बयान में प्रत्यर्थी ने बताया कि कैसे चार्जशीट 2, 3 और 4 उससे संबंधित नहीं हो सकते हैं और बाद में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में भी उन्होंने कहा कि चार्जशीट 2 और 4 संबंधित हैं। उस अवधि तक जब वह 9 फरवरी, 1979 से 30 सितंबर, 1981 तक आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति सहकारी हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन में कार्यरत थे। उस अवधि के दौरान चार्जशीट संख्या 3 से संबंधित, प्रत्यर्थी ने कहा कि वह प्रतिनियुक्ति पर था अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 11 अक्टूबर, 1984 से 26 सितंबर, 1985 तक यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड पॉलिटेक्निक में। पहले चार्जशीट पर उनका बचाव बयान इस प्रकार था:-

> "1. चार्जशीट संख्या 1 के संदर्भ में, मैं प्रस्तुत करता हूं कि मैंने सरकार के उप सचिव के कक्ष में मेसर्स स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन से संबंधित पत्रावली संख्या 234/241/7/1/बी4/78 का अवलोकन किया है। 20.9.1995 को एम.ए. एवं यू.डी. विभाग। जैसा कि पत्रावली से देखा गया है कि मेसर्स स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन ने अपने आवेदन दिनांक 18.9 के माध्यम से मौजूदा भूतल, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के ऊपर चौथी, 5 वीं और

6वीं मंजिल के निर्माण के लिए आवेदन किया है। 1978. प्रस्तावों की नोट पत्रावली के पृष्ठ 6 और 7 में पैराग्राफ 1 से 27 तक विस्तार से जांच की गई है, जिसमें पत्रावली में उपलब्ध सामग्री के आलोक में प्रस्तावित निर्माण के लिए अनुमेय एफ.एस.आई और अन्य नियमों और विनियमों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। पैरा 23 में कुछ शर्तों के अधीन सही योजना के अनुसार उच्च अधिकारियों को विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। जैसा कि दाहिनी ओर मार्जिन पर तत्कालीन सिटी प्लानर श्री पी.वी. जानकीरमन के समर्थन से देखा जा सकता है "इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है केवल चौथी और पांचवीं मंजिल तक, आइए छठी मंजिल का कुछ हिस्सा हटा दें। तत्कालीन सिटी प्लानर ने चौथी और पांचवीं मंजिल और छठी मंजिल के हिस्से के प्रस्तावित निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसमें विचलन को नियमित करते हुए रुपये का कंपाउंड चार्जशीट लगाया गया है। दिनांक 1.1.79 को 1000/- जमा कर पत्रावली उपायुक्त को भेज दी। बर्न में उपायुक्त ने 10.1.1979 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उपरोक्त नोट से यह स्पष्ट है कि मैंने कोई भ्रामक नोट नहीं डाला और किसी भी नियम और विनियम के विरुद्ध अनियमित रूप से प्रस्तावों की अनुशंसा नहीं की,

जैसा कि चार्जशीट में कहा गया है। उच्च अधिकारियों ने भी उक्त प्रस्तावों के अनुमोदन से पहले प्रस्तुत नोट में कोई खामी नहीं बताई है और कंपाउंडिंग चार्जशीट लगाकर अपराध को भी नियमित कर दिया है।

इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि मैंने प्रस्तावों की अनियमित रूप से अनुशंसा नहीं की है, इसलिए चार्जशीट हटा दिया जाए।"

वास्तव में अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने तथ्यों का सत्यापन किया कि प्रत्यर्थी ने चार्जशीट 2, 3 और 4 के अनुच्छेद के बारे में जो कहा था वह सही था और वह उल्लिखित भवनों के संबंध में किसी भी विचलन या अनाधिकृत निर्माण से चिंतित नहीं हो सकता है। वे चार्जशीट. यह 10 अक्टूबर 1995 को नगर आैर देश योजना के निदेशक द्वारा सरकार, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को लिखे गए पत्र द्वारा लिखा गया है, और नगर आैर देश योजनाके निदेशक से अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में था। देश नियोजन 15 मार्च, 1996 को सतर्कता आयुक्त ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सलाह दी कि "दिनांक 7.11.1987 की अपनी रिपोर्ट के तहत ए.सी.बी. द्वारा लौटाई गई संबंधित फाइलों के संदर्भ में आरोपी अधिकारियों के स्पष्टीकरण पर कार्यवाही करें और फिर आगे की सलाह के लिए पत्रावली

को सतर्कता आयुक्त के पास भेजें"। कुछ नहीं हुआ सब कुछ रुका हुआ था,

अप्रैल, 1996 में प्रत्यर्थी ने राहत के लिए आंध्र प्रदेश अपीलीय न्यायाधिकरण का रुख किया।

इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 7 नवंबर, 1987 की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी के खिलाफ चार्जशीट लगाए गए हैं, जो कि विभिन्न अधिकारियों पर चार्जशीट लगाने की सामान्य प्रकृति है। निगम, लेकिन प्रासंगिक फाइलों और पिन पॉइंटिंग के किसी भी संदर्भ के बिना कि क्या प्रत्यर्थी या किसी अन्य अधिकारी पर चार्जशीट लगाया गया था कि वह बहुमंजिला परिसरों में कथित विचलन और अनाधिकृत निर्माण से चिंतित था।

हमारे लिए 27 अक्टूबर, 1995 और 1 जून, 1996 के द्वारा जारी किए गए आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह न्यायाधिकरण में या हमारे सामने रद्द करने का विषय-वस्तु नहीं था। न्यायाधिकरण ने जिन आधारों पर 1991 के नियमों के तहत जारी 31 जुलाई, 1995 के को रद्द किया, उनमें से एक यह था कि 1963 के नियमों के तहत जारी 22 दिसंबर, 1987 के पहले नंबर 1412 को रद्द किए बिना, बाद वाला जारी नहीं किया जा सकता था। हमने देखा है कि 1991 के नियमों के नियम 45 के तहत 1963 के नियमों के तहत शुरू की गई जांच कार्यवाही 1991 के नियमों के लागू होने के बाद भी जारी रखी जा सकती

है। यह सही है कि 22 दिसंबर, 1987 को संख्या 1412 जारी होने के बाद जांच की कार्यवाही इस हद तक आगे बढ़ी कि जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और इसे 1963 के नियमों के तहत समाप्त किया जाना चाहिए था। यदि 1991 से पहले पहली बार चार्ज दिया गया होता तो कोई कठिनाई नहीं होती. हालाँकि, वर्तमान मामले में यह केवल एक अनियमितता हो सकती है, न कि अवैधता, जो जांच की कार्यवाही को ख़राब कर रही है, क्योंकि 22 दिसंबर, 1987 के संख्या 1412 के तहत जांच अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद, कोई प्रगति नहीं हुई थी। यदि दोषी अधिकारी के खिलाफ उन्हीं आरोपों पर कोई ताजा जारी किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई पूर्वाग्रह है।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम चमन लाल गोयल (1995 (2) एससीसी 570) में, पंजाब राज्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश से व्यथित था जिसमें गोयल के खिलाफ आरोपों को रद्द कर दिया गया था और जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश भी दिए गए थे। उन आरोपों की जांच करें. इस मामले में घटना, जो चार्जशीट का विषय थी, दिसंबर, 1986 और जनवरी, 1987 की शुरुआत में हुई थी, जब गोयल अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे। नाभा हाई सिक्योरिटी जेल का 9 जुलाई 1992 को ही गोयल को आरोपों का जारी किया गया था। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए 4 जनवरी 1993 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

20 जुलाई, 1993 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और इसके तुरंत बाद गोयल ने 24 अगस्त, 1993 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने आरोपों की तामील में साढ़े पांच साल की देरी के मुख्य आधार पर आरोपों को रद्द कर दिया, जिसके लिए कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं था। इस न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति की जांच की कि देरी कैसे हुई और क्या देरी के कारण गोयल किसी भी तरह से पूर्वाग्रहग्रस्त थे। यह न्यायालय ए.आर. में निर्धारित सिद्धांतों पर निर्भर था। अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1992 (1) एससीसी 225), और कहा, हालांकि वह मामला आपराधिक अभियोजन से संबंधित था, लेकिन उसमें दिए गए सिद्धांत मोटे तौर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में देरी की दलीलों पर भी लागू थे। ए.आर. में फैसले का जिक्र अंतुले मामले में इस न्यायालय ने कहा:-

> "फैसले के पैराग्राफ 86 में, इस न्यायालय ने उसमें विचार किए गए कई निर्णयों से उभरे प्रस्तावों का उल्लेख किया और कहा कि "आखिरकार अदालत को कई प्रासंगिक कारकों - संतुलन परीक्षण या संतुलन प्रक्रिया - को संतुलित और तोलना होगा - और प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी दिए गए मामले में त्वरित सुनवाई के

अधिकार से इनकार कर दिया गया है।" यह भी माना गया है कि, आमतौर पर, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, चार्जशीट, या दोषसिद्धि, मामला हो सकता है, रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, यह देखा गया है कि यह अदालत के लिए खुला एकमात्र रास्ता नहीं है और किसी दिए गए मामले में, अपराध की प्रकृति और अन्य परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि उसे रद्द करना होगा कार्यवाही न्याय के हित में नहीं हो सकती है। ऐसे मामले में, यह देखा गया है, यह अदालत के लिए ऐसे अन्य उचित आदेश देने के लिए खुला है जो उसे मामले की परिस्थिति में उचित और न्यायसंगत लगता है।"

उस मामले में इस न्यायालय ने कहा कि यह अधिक उचित और न्यायहित के साथ-साथ प्रशासन के हित में भी है कि जो जांच काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है उसे पूरा करने की अनुमति दी जाए। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि गोयल को पदोन्नति के लिए फिट पाया जाता है, तो बिना किसी संदर्भ के और आरोपों या जांच की पेंडेंसी पर विचार किए बिना पदोन्नति के लिए तुरंत विचार किया जाना चाहिए।

सभी मामलों और उन सभी स्थितियों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन में देरी होती है, वहां लागू होने वाले किसी भी पूर्व-निर्धारित सिद्धांतों को निर्धारित करना संभव नहीं है। क्या उस आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जानी है, प्रत्येक मामले की जांच उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर की जानी चाहिए। मामले का सार यह है कि अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना होगा और यह निर्धारित करने के लिए उन्हें संतुलित और महत्व देना होगा कि क्या यह स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन के हित में है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को देरी के बाद समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर जब देरी हो असामान्य है और देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। दोषी कर्मचारी को यह अधिकार है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जाए और कार्यवाही में देरी करने में उसकी कोई गलती न होने पर उसे अनावश्यक रूप से लंबे समय तक चलने पर मानसिक पीड़ा और मौद्रिक हानि का सामना न करना पड़े। इस पर विचार करने में कि क्या देरी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को ख़राब कर दिया है, न्यायालय को चार्जशीट की प्रकृति, इसकी जटिलता और किस कारण से देरी हुई है, इस पर विचार करना होगा। यदि देरी अस्पष्ट है तो दोषी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी देखा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की पैरवी में कितना गंभीर है। प्रशासनिक न्याय का यह मूल सिद्धांत है कि किसी

विशेष कार्य में लगे अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, कुशलतापूर्वक और नियमों के अनुसार करना होता है। यदि वह इस मार्ग से भटकता है तो उसे निर्धारित दंड भुगतना होगा। आम तौर पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही को प्रासंगिक नियमों के अनुसार अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन देरी से न्याय नहीं मिल पाता। देरी से आरोपित अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि वह ऐसा कर रहा है या अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन में देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं है। अंततः, न्यायालय को इन दो विविध विचारों को संतुलित करना है।

वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि रिकॉर्ड के संदर्भ के बिना, केवल महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट पर, प्रत्यर्थी और दस अन्य के खिलाफ चार्जशीट तय किए गए, सभी शब्दशः और प्रत्येक अधिकारी द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण दिए बिना। आरोपित. प्रत्यर्थी के विरुद्ध चार चार्जशीट थे। उनमें से तीन से उसे कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने चौथे चार्जशीट के संबंध में स्पष्टीकरण की पेशकश की, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इसकी जांच नहीं की और न ही किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करने का विकल्प चुना, यहां तक कि यह मानते हुए भी कि कार्यवाही 1991 के नियमों के तहत वैध रूप से शुरू की गई थी। इन सभी वर्षों में जांच कार्यवाही के समापन में देरी के लिए कोई

स्पष्टीकरण नहीं है। मामला केवल विभाग के रिकॉर्ड पर निर्भर था और महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया था कि उनकी रिपोर्ट देने से पहले किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। जांच अधिकारी, जिन्हें एक के बाद एक नियुक्त किया गया था, को सिर्फ यह देखने के लिए रिकॉर्ड की जांच करनी थी कि क्या कथित विचलन और निर्माण अवैध और अनाधिकृत थे और फिर उपनियमों के खिलाफ इसे माफ करने या मंजूरी देने के लिए कौन जिम्मेदार था। यह किसी का मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी ने किसी भी स्तर पर जांच कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने की कोशिश की। न्यायाधिकरण ने सही ही राज्य के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया कि देरी क्यों हुई। वास्तव में विचार करने लायक शायद ही कोई स्पष्टीकरण था। इन परिस्थितियों में न्यायाधिकरण को 31 जुलाई, 1995 के चार्ज को रद्द करना और राज्य को 27 अक्टूबर, 1995 और 1 जून, 1996 को नजरअंदाज करते हुए डीपीसी की सिफारिश के अनुसार प्रत्यर्थी को बढ़ावा देने का निर्देश देना उचित था। न्यायाधिकरण ने सही तरीके से इसे रद्द नहीं किया। ये दो बाद के, तदनुसार, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इसे लागत के साथ खारिज किया जाता है।

वी.एस.एस. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मुनेश चंद यादव (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझााने की सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।